2

252

'उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, 2024'
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या–.................वर्ष, 2024)

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–07, वर्ष 2013 समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) अधिनियम 2024 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 12 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 12 की उपधारा (1) में–

(i) परन्तुक में **"अठारहः मास"** शब्दों के स्थान पर **"चौबीस मास"** शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेगें,

(ii) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्

परन्तु यह और कि, यदि राज्य सरकार जनहित में निर्णय लेती है, नदी क्षेत्र के तटीय विकास कार्य एवं सुरक्षात्मक कार्य करने से इस क्षेत्र में प्रभावित होने वाली भू–सम्पदा तथा मौजूदा भवन संरचनाओं को सुरक्षित किया जा सकता है तो निर्गत अन्तिम अधिसूचना में, धारा 8, 9, 10 तथा 11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकेगी।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव
सिंचाई विभाग
उत्तराखण्ड शासन

विधायी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (समय–समय पर यथासंशोधित) का संशोधन मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 2 में समय सीमा "अठारह मास" के स्थान पर "चौबीस मास" करने तथा उक्त धारा में निम्नलिखित परन्तुक (ii) सम्मिलित किये जाने हेतु प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था प्रस्तावित है–

परन्तु यह और कि, यदि राज्य सरकार जनहित में निर्णय लेती है, नदी क्षेत्र के तटीय विकास कार्य एवं सुरक्षात्मक कार्य करने से इस क्षेत्र में प्रभावित होने वाली भू–सम्पदा तथा मौजूदा भवन संरचनाओं को सुरक्षित किया जा सकता है तो निर्गत अन्तिम अधिसूचना में, धारा–8, 9, 10 तथा 11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकेगी।

सतपाल महाराज
मंत्री

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (समय–समय पर यथासंशोधित) का संशोधन मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय सन्निहित नहीं है।

सतपाल महाराज
मंत्री

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

255 5

खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (समय–समय पर यथासंशोधित) का संशोधन मात्र है।

2– विधेयक के खण्ड 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ की व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

3– विधेयक के खण्ड 2 में धारा 12 की उपधारा (1) के परन्तुक में शब्द के ''अठारह मास'' के स्थान पर शब्द ''चौबीस मास'' करने तथा उक्त धारा में निम्नलिखित परन्तुक (ii) सम्मिलित करने हेतु व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है–

परन्तु यह और कि, यदि राज्य सरकार जनहित में निर्णय लेती है, नदी क्षेत्र के तटीय विकास कार्य एवं सुरक्षात्मक कार्य करने से इस क्षेत्र में प्रभावित होने वाली भू–सम्पदा तथा मौजूदा भवन संरचनाओं को सुरक्षित किया जा सकता है तो निर्गत अन्तिम अधिसूचना में, धारा–8, 9, 10 तथा 11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकेगी।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

सतपाल महाराज
मंत्री

6

Statement of Purpose and Reasons

The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 has been enacted for flood plain demarcation of rivers in the state of Uttarakhand. The power to declare the intention of the State Government to identify flood plain areas is given section 8 of the said Act. Similarly, in sub-section (1) of Section 12, the state government has been given the power to prohibit or restrict activities in the flood plains. In the proviso to sub-section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (as amended from time to time), there is restriction on any notification after the expiry of eighteen months from the date of publication of the notification issued under section 8. The time limit of eighteen months is short for this work, therefore, after due consideration, the State Government has decided that the period of the said eighteen months should be fixed at twenty-four months, and keeping in view the public interest, the following proviso (ii) should be included in the said section-

Provided further that, if State Government take decision in public interest, that affected land and existing buildings can be protected by executing river bank development, the final notification issued, may be amended as per the requirement by following the procedure prescribed under sections 8,9,10 and 11''

2. The proposed Bill fulfills the above objective.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

SATPAL MAHARAJ
Minister

357

The Uttarakhand Flood Plain Zoning(Amendment) Bill,2024

(Uttarakhand Bill, No..................of 2024)

A

Bill

further to amend The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012(Uttarakhand Act. 07 of 2013) (as amended from time to time)

Be it enacted by the Uttarakhand State Assembly in the 75^{th} Year of the Republic of the India as follows-

Short title, extent and commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Act, 2024 (2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand. (3) It shall come into force at once.
Amendment of Section 12	2.	In subsection (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012- (i) In proviso, for the words "eighteen months" the words "twenty four months" shall be substituted (ii) After the proviso, the following proviso shall be inserted namely ;- Provided further that, if State Government take decision in public interest, that affected land and existing buildings can be protected by executing river bank development, the final notification issued, may be amended as per the requirement by following the procedure prescribed under sections 8,9,10 and 11"

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव
सिंचाई विभाग
उत्तराखण्ड शासन

258

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य के अनेक प्रतिभावान खिलाड़ियों द्वारा अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दी है; किन्तु राज्य में रोजगार के संसाधनों की कमी के कारण प्रतिभावान खिलाड़ियों द्वारा रोजगार हेतु अन्य राज्यों की ओर पलायन किया जा रहा है। अतः प्रतिभावान खिलाड़ियों के राज्य से हो रहे पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के कुशल खिलाड़ियों को लोक सेवाओं और पदों में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

GENERAL DRAFT